

By Registered Post

M-551/12/2015

Room No. 28  
South Block  
New Delhi

To

27 Mar 2015

Sh. Satyanarayan Prasad  
A.B. 431/2,  
Amarpuri, Nabikareem,  
New Delhi-110055

Subject: Right to Information Act, 2005- Application by Sh. Satyanaryana Prasad dated 09/02/2015 about information regarding investments made in India during tenures of India's first Prime Minister and Prime Minister Narendra Modi.

Madam,

Kindly refer to your application dated 09/02/2015, wherein you have sought information regarding investments made in India during tenures of India's first Prime Minister and Prime Minister Narendra Modi. Your application was forwarded to this Division i.e. West Asia and North Africa Division (WANA Division) of the Ministry of External Affairs by RTI Cell, Ministry of External Affairs, vide OM No. RTI/551/490/2015 dated 04/03/2015.

2. In so far as WANA Division of the Ministry of External Affairs is concerned, the information relating to point 1 and point 2 of your query is as follows:

**Point 1-** Nil

**Point 2-** Nil

3. It may be stated that if you are not satisfied with the information provided herein, an appeal could be sent by you to the Appellate Authority, Shri Sandeep Kumar, Joint Secretary (WANA) & Appellate Authority, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi, within thirty days of the receipt of the response.

Thanking you,

Yours Faithfully,

(Ram Rattan)  
Consultant (WANA)

Copy forwarded for information to-  
Smt. Meera Sisodia, US (RTI), MEA

सूचना का अधिकार: 24-2-15  
490/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/2491/2015-पीएमआर

## कार्यालय झापन

दिनांक: २०/०५/२०१५

By No. 1334/RTI Sec/2015  
दिनांक/Date: 21/03/15

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री सत्यनारायण प्रसाद से प्राप्त दिनांक 9.2.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 16.2.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।



(पी०के० शर्मा)

अवर सचिव एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

 : 2338 2590

✓ विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय  
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

बिन्दु संख्या 1 और 2 के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री सत्यनारायण प्रसाद  
ए.बी.431/2, अमरपुरी, नबीकरीम  
नई दिल्ली - 110 055

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। बिन्दु संख्या 3,5 और 6 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपका अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत दी गई सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। बिन्दु संख्या 4 के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 11.11.2014 के आवेदन पत्र का जबाब इस कार्यालय के दिनांक 25.11.2014 द्वारा पहले ही भेजा जा चुका है (प्रति संलग्न 1 पृष्ठ) और अपील का निस्तारण पीएमओ के पत्र दिनांक 13.1.2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा भी किया जा चुका है।

Q 2/2/15

US (R21)

182-~~100~~ Environmental Div.

msk

Law

hw  
27/2

5/2/21

# PARIVAR NIYANTRAN SAMITI

Office: AB 431/2, Amarpuri

New Delhi-110055

16 FEB 2015

Adhyaksh

कमल पुष्प आसन

Satya Narayan Prasad

Contact No. 9313393822



Secretary

Treasurer

DAK SECTION

Email : onefamily\_onechild@yahoo.com

सेवा में,

दिनांक: 09.02.2015

जनसूचना अधिकारी

प्रधान सेवक का कार्यालय

समूह एन्यू, नई दिल्ली।

विषय: जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु

आवेदन।

महोदय,

दिनांक 11.11.2014 को जनसूचना अधिकारी को लिखे आवेदन का सन्दर्भ में दूसरा आर.टी.आई. पत्र।

नोट:- मैंने दिनांक 11.11.2014 को जनसूचना अधिकारी को लिखे आवेदन में रुपये 20 का पोस्टल आर्डर लगाया था, कृपया उक्त राशि से बचे 10/- रुपये की रसीद भेजें या इस पत्र की सूचना देने में उपयोग करें। फिर भी 10 रुपये की पोस्टल आर्डर भेज रहा हूँ।

प्रार्थी निम्न सूचना चाहता है:-

1. भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने कितने विदेशी कम्पनियों से, कितने वर्षों व लिए भारत में निवेश करवाया था?
2. वर्तमान प्रधान सेवक मि. नरेन्द्र दामोदर मोदी दास उर्फ भारत भों का अपमान करने वाला ने जापान से, चीन से, अमेरिका से, किस आधार/शर्त पर तथा कितने दिनों के लिए व्यापारिक व अन्य समझौते किये हैं? यदि भारत जापान, चीन व अमेरिका को समझौता तोड़कर बीच में व्यापार छोड़कर जाने को कहे तो उसके लिए भारत को किस प्रावधान का पालन करना होगा? सही सूचना देते हुए जापान, चीन व अमेरिका से की गयी [तीनों देशों (भारत-जापान, भारत-चीन, भारत-अमेरिका)] समझौते की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।

3. ये भी सूचना दें, दिनांक 26 मई 2014 से आज तक कितने भारतीयों ने प्रधान सेवक मार्क करके वर्तमान प्रधान मंत्री/सेवक को पत्र लिखे हैं।

सूचना दें कि दिनांक 11.11.2014 को जनसूचना अधिकारी को लिखे गये पत्र में प्रधान मंत्री कार्यालय से सम्बन्धित सूचना क्यों नहीं दी गयी? क्या उस आवेदन के 15 सवाल में से एक भी प्रधान मंत्री कार्यालय से सम्बन्धित नहीं था? स्पष्ट सूचना दें।

5. आप जनसूचना अधिकारी कहते हैं सम्बन्धित प्राधिकरण से सूचना मांगे। तो सम्बन्धित प्राधिकरण की जानकारी कैसे मिले, जबकि आपके पास सम्बन्धित प्राधिकरण की सूची नहीं है?

6. आप सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों की सूची उपलब्ध कराने में असमर्थ हो तो आम पब्लिक कहां सम्पर्क करें? जबकि आन आदमी अंगुठा छाप होती है लेकिन आप उच्च शिक्षितों में से आते हैं। यदि उच्च शिक्षित नहीं है तो बतायें।

निर्धारित 30 दिन के भीतर सूचना देते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम भी बताएं।

संलग्न है:

1. दिनांक 11.11.2014 को लिखे गये आवेदन पत्र की प्रतिलिपि। जिस पर पी.एम.ओ. से सम्बन्धित सूचना भी नहीं दी गयी है। प्रथम अपील पर भी सूचना नहीं दी गयी।

2. रुपये 10 का पोस्टल आर्डर।

|             |         |
|-------------|---------|
| URGENT      |         |
| RTI ACT     |         |
| Enquiry No. | 28906   |
| & Date      | 16/2/15 |
| Issued On   | 28/2/15 |
| For File    |         |

एक भारतीय

सत्यनारायण प्रसाद

ए.बी. 431/2, अमरपुरी, नबीकरीम, नई दिल्ली-110055, सम्पर्क सुत्र- 9313393822

Info No 258734/23 of R310/